मुख्यालय /**Headquarters**

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

Employees' State Insurance Corporation

(आईएसओ 9001-2008 प्रमाणित / **ISO 9001-2008 certified)**

पंचदीप भवन, सीआईजी मार्ग, नई दिल्ली -110002

Panchdeep Bhawan, CIG Road,New Delhi-110002

सं॰ : जेड-11/12/1/2020-पी.आर. दिनांक : 14.04.2020

प्रेस विज्ञप्ति

कोविड-19 महामारी के दौरान कराबी अंशदान फाइल करने की समय-सीमा बढ़ाना

कोविड-19 महामारी के कारण देश बहुत चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना कर रहा है। बहुत सारी स्थापनाएं अस्थायी रूप से बंद हैं और कामगार कार्य करने में असमर्थ हैं। व्यापारिक समुदायों और कामगारों को राहत देने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे विस्तृत उपायों के क्रम में, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (कराबी निगम) ने कोविड-19 से लड़ने हेतु अपने चिकित्सा संसाधनों को मजबूत करने के साथ-साथ अपने पणधारकों विशेषकर नियोजकों और कामगारों के लिए निम्नलिखित राहत उपाय शुरू किए हैं:

कराबी अंशदान फाइल करने की समय-सीमा में विस्तार

राहत के रूप में माह फरवरी और मार्च का अंशदान फाइल करने की अवधि पहले क्रमशः 15 अप्रैल और 15 मई तक बढ़ाई गई थी। अब नियोजकों को हो रही कठिनाई पर विचार करते हुए फरवरी माह का अंशदान फाइल करने की अवधि को पूर्व में बढ़ाई गई अवधि अर्थात 15 अप्रैल से और बढ़ाते हुए इसे 15 मई 2020 तक कर दिया गया है। मार्च का अंशदान फाइल करने की अवधि भी 15 मई तक बढ़ाई गई है । विस्तारित अवधि के दौरान स्थापनाओं पर कोई दंड अथवा ब्याज अथवा हर्जाना नहीं लगाया जाएगा। इससे कराबी योजना के तहत व्याप्त लगभग 3.49 करोड़ बीमाकृत व्यक्ति एवं 12.11 लाख नियोजको को राहत मिलेगी ।

इसके अलावा बीमाकृत व्यक्तियों और हितलाभार्थियों के लिए राहत के निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

1. कराबी हितलाभार्थियों की कठिनाइयों में राहत के उद्देश्य से कराबी हितलाभार्थियों को लॉकडाउन के दौरान प्राइवेट औषधि विक्रेताओं (केमिस्टों) से दवा खरीदने और बाद में कराबी निगम द्वारा उसकी प्रतिपूर्ति किए जाने की अनुमति प्रदान की गई है।

2. यदि किसी कराबी अस्पताल को केवल कोरोना संदिग्ध/ संक्रमित मामलों की देखरेख के लिए कोविड-19 विशेष अस्पताल घोषित किया गया है, बीमाकृत व्यक्तियों और हितलाभार्थियों को टाईअप अस्पतालों से चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने का प्रावधान भी किया गया है। क.रा.बी. निगम लाभार्थियों को उस अवधि के दौरान निर्धारित द्वितीयक/ एसएसटी परामर्श/ प्रवेश/ जांच प्रदान करने के लिए टाईअप अस्पतालों को रेफर किया जा सकता है, जिस दौरान संबंधित क.रा.बी. निगम अस्पताल विशेष कोविड -19 अस्पताल

के रूप में कार्य कर रहा है। क.रा.बी. निगम लाभार्थी अपनी पात्रता के अनुसार, रेफरल पत्र के बिना सीधे टाई-अप अस्पताल से आपातकालीन/ गैर-आपातकालीन चिकित्सा उपचार प्राप्त कर सकते हैं।

3. नियम 60-61 के अंतर्गत स्थायी निःशक्तता के कारण बीमायोग्य रोजगार से बाहर होने वाले बीमाकृत व्यक्तियों को और **10**/- रु प्रति माह की दर से एक वर्ष के लिए अग्रिम एकमुश्त अंशदान के भुगतान पर सेवानिवृत्त बीमाकृत व्यक्तियों को चिकित्सा हितलाभ प्रदान किया जाता है। लॉक डाउन की वर्तमान परिस्थितियों में ऐसे कई मामले हो सकते हैं जिनमें लॉक डाउन के कारण वार्षिक एकमुश्त अंशदान जमा न करा पाने के कारण इन लाभार्थियों के चिकित्सा हितलाभ कार्ड की वैधता समाप्त हो गई है। ऐसे लाभार्थियों को दिनांक 30.06.2020 तक कराबी निगम (केंद्रीय नियमावली) के नियम 60 और 61 के अंतर्गत चिकित्सा हितलाभ प्राप्त करने की अनुमति दी गई है।

4. स्थायी निशक्तता हितलाभ और आश्रितजन हितलाभ के संबंध में मार्च 2020 में 41 करोड़ रूपए (लगभग) हितलाभार्थियों के खाते में भेज दिए गए हैं।

भारत में क.रा.बी.योजना

कर्मचारी राज्य बीमा निगम व्यापक सामाजिक सुरक्षा हितलाभ जैसे उचित चिकित्सा देखभाल और रोजगार चोट, बीमारी, मृत्यु इत्यादि जैसी आवश्यकता के समय नकद हितलाभों की एक श्रृंखला उपलब्ध कराने वाला एक प्रमुख सामाजिक सुरक्षा संगठन है। क.रा.बी.अधिनियम उन भवनों/ परिसीमाओं पर लागू होती है जहाँ 10 अथवा अधिक व्यक्ति नियोजित हैं। प्रतिमाह 21,000/- रुपए का वेतन आहरित करने वाले कर्मचारी क.रा.बी.अधिनियम के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा कवर और अन्य हितलाभों के हकदार हैं।

यह अधिनियम 12.11 लाख कारखानों और स्थापनाओं पर देशभर में लागू है जिनमें कामगारों की 3.49 करोड़ परिवार इकाइयां हैं। अब तक क.रा.बी.हितलाभार्थियों की कुल संख्या 13.56 करोड़ से ऊपर है। अपने प्रारंभ 1952 ई. से क.रा.बी.निगम अब तक 155 अस्पताल, 1500/148 औषधालय/आईएसएम इकाइयां, 793 शाखा/भुगतान कार्यालय और 64 क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित कर चुका है।